कुशल युवा कार्यक्रम के लर्निंग फैसिलीटेटर का केन्द्रीकृत आवासीय प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव

आवश्यकताः

कुशल युवा कार्यक्रम (केवाईपी) केन्द्रों में ज्ञान एवं कौशल के बेहतर प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण की गुणवत्ता एक प्रमुख कारक है। यहाँ लर्निंग फैसिलीटेटर की भूमिका अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि केवाईपी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संबंधी अवधारणाओं को समझने एवं योजना का वांछित लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित कराना लर्निंग फैसिलीटेटर का प्राथमिक दायित्त्व है। अतः राज्य के प्रत्येक केवाईपी केन्द्रों पर अच्छी गुणवत्ता वाले लर्निंग फैसिलीटेटर का होना अत्यावश्यक है।

अवधारणाः

गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने एवं तदालोक में लर्निंग फैसिलीटेटर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव है कि केवाईपी केन्द्रों पर कार्यरत ऑनसेट पास सभी लर्निंग फैसिलीटेटरों का तीन दिवसीय केन्द्रीकृत आवासीय प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाये एवं प्रशिक्षणोपरांत उनका मूल्यांकन किया जाये।

तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम का निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- लर्निंग फैसिलीटेटरों की क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाना
- सभी केवाईपी केन्द्रों पर प्रशिक्षण गुणवत्ता का मानकीकरण करना
- लर्निंग फैसिलीटेटरों को विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों से लैस करना ताकि वे प्रशिक्षुओं को कक्षा में सीखने की प्रक्रिया में अधिकाधिक रुप में सम्मिलित कर सकें, प्रशिक्षुओं का बेहतर प्रबंधन कर सकें एवं प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित कर सकें
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ने के आलोक मे केन्द्र पर ड्रॉप आउट अनुपात कम करना
- लर्निंग फैसिलीटेटरों का व्यक्तित्त्व विकास एवं Pedagogy कौशल विकसीत करना और यह सुनिश्चित करना कि वे लर्निंग फैसिलीटेटर की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट रुप से समझें
- यह सुनिश्चित करना कि केवाईपी इकोसिस्टम में केवल गुणवत्तापूर्ण लर्निंग फैसिलीटेटर ही सम्मिलित हों

भूमिकाः

तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन

स्थानः दशरथ माँझी श्रम एवं रोजगार अध्ययन संस्थान, पटना या बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा उपलब्धता के आधार पर निर्धारित स्थान

कार्यक्रम की अवधिः तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के तीसरे दिन मूल्यांकन का यह कार्यक्रम तब तक चलाया जायेगा, जब तक केवाईपी इकोसिस्टम में कार्यरत सभी ऑनसेट पास लर्निंग फैसिलीटेटरों का एक बार प्रशिक्षण पूर्ण न हो जाए। तदोपरांत आवश्यकतानुसार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन एवं कार्यक्रम में मास्टर प्रशिक्षकों की आवश्यकता का निर्धारण बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाएगा।

तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम की गतिविधियाँः

प्रारंभिक गतिविधियाँ

- नोलेज पार्टनर अर्थात् एमकेसीएल टीम द्वारा केवाईपी पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना
- नोलेज पार्टनर द्वारा जिलावार लर्निंग फैसिलीटेटरों की सूची बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध कराना
- वर्ष 2023 में नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके सभी केवाईपी केन्द्रों को निदेशित किया जाएगा कि वे पोर्टल पर पंजीकृत वैसे लर्निंग फैसिलीटेटरों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित 7 दिनों की समय-सीमा में कर लें, जो भौतिक रूप से अब केन्द्र पर उपलब्ध/कार्यरत नहीं हैं। उक्त के संदर्भ में नोलेज पार्टनर द्वारा पोर्टल पर लर्निंग फैसिलीटेटर को dissociate करने का प्रावधान केवाईपी केन्द्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रक्रिया का अनुपालन करना अनिवार्य होगा जिसके फलस्वरुप पोर्टल पर केवल वैसे लर्निंग फैसिलीटेटरों की ही सूचना बची रहेगी, जो वर्तमान में केन्द्र पर पंजीकृत एवं उपलब्ध हैं। निर्धारित 7 दिनों की समयसीमा के उपरांत पोर्टल पर बचे कुल लर्निंग फैसिलीटेटरों को इस आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु योग्य माना जाएगा।

मास्टर प्रशिक्षकों का चयन जिनके द्वारा आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा

मास्टर प्रशिक्षकों का चयन क्रमशः तीन चरणों में होगाः

- मास्टर प्रशिक्षकों का चयन केवाईपी इकोसिस्टम में कार्यरत मौजूदा लर्निंग फैसिलीटेटरों में इच्छुक अभ्यर्थियों के दल से किया जाएगा। मास्टर प्रशिक्षक बनने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंड ऑनसेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ किसी भी विषय में स्नातक होना भी है।

- **प्रथम चरणः** सभी ऑनसेट प्रमाणित इच्छुक लर्निंग फैसिलीटेटरों का अपने संबंधित केन्द्रों पर ऑनलाईन मूल्यांकन होगा, जिसका आयोजन मिशन के नोलेज पार्टनर एजेंसी द्वारा किया जाएगा। प्रथम चरण का यह मूल्यांकन केवल एक बार ही आयोजित किया जाएगा।
    - प्रथम चरण में हुए मूल्यांकन के परिणामों का संकलन किया जाएगा और मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर शीर्ष 10 प्रतिशत अथवा शीर्ष 300 अभ्यर्थियों, जो भी अधिक हों, की सूची तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से चयनित ये शीर्ष 10 प्रतिशत लर्निंग फैसिलीटेटर मास्टर प्रशिक्षक चयन प्रक्रिया के द्वितीय चरण के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए योग्य होंगे।
- **द्वितीय चरणः** इस चरण हेतु सभी योग्य लर्निंग फैसिलीटेटरों के लिए जिला मुख्यालय स्थित प्रखंड कौशल विकास केन्द्र या बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित केन्द्र पर मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन मिशन के नोलेज पार्टनर एजेंसी द्वारा किया जाएगा। द्वितीय चरण का यह मूल्यांकन केवल एक बार ही आयोजित किया जाएगा।
    - द्वितीय चरण के मूल्यांकन की निगरानी बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मियों द्वारा किया जाएगा।
    - द्वितीय चरण में हुए मूल्यांकन के परिणामों का संकलन किया जाएगा और मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर शीर्ष 100 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से चयनित ये शीर्ष 100 लर्निंग फैसिलीटेटर मास्टर प्रशिक्षक चयन प्रक्रिया के तृतीय चरण के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए योग्य होंगे।
- **तृतीय चरणः** इस चरण हेतु सभी योग्य लर्निंग फैसिलीटेटरों का बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा गठित समिति के समक्ष आमने सामने अथवा वर्चुअल (जिसका निर्धारण मिशन द्वारा किया जाएगा) साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
- तृतीय चरण के मूल्यांकन के उपरांत शीर्ष 50 लर्निंग फैसिलीटेटरों को सभी ऑनसेट प्रमाणित लर्निंग फैसिलीटेटरों के तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण हेतु मास्टर प्रशिक्षक के रूप में चयनित किया जाएगा।
- मास्टर प्रशिक्षकों का चयन अस्थायी होगा। मास्टर प्रशिक्षकों को उनकी सेवा (मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा लिए गए प्रशिक्षण सत्रों के लिए केवल) के विरूद्ध बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित दर के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- मास्टर प्रशिक्षकों की सेवा आवश्यकतानुसार आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के चलने तक ही ली जाएगी।

- चयनित मास्टर प्रशिक्षकों को अपने संबंधित केवाईपी केन्द्र के साथ इस विषय पर विमर्श कर मास्टर प्रशिक्षक चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही, उन्हें अपने संबंधित केवाईपी केन्द्र से अनुपस्थिति हेतु अवकाश का आवेदन देना होगा, क्योंकि उनका मास्टर प्रशिक्षक के रूप में चयन अस्थायी होगा एवं उनका यह चयन आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने अथवा मिशन द्वारा इस कार्यक्रम को रोक देने संबंधी निर्णय लेने पर स्वयं समाप्त माना जाएगा।
- चयनित मास्टर प्रशिक्षकों का उपयोग महीने में एक सप्ताह की संभावित नियुक्ति अथवा मिशन के द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार रोटेशन में किया जाएगा।
- मास्टर प्रशिक्षकों का चयन अल्पावधि के लिए एवं अस्थायी होगा। मिशन द्वारा तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम को रोके जाने अथवा समाप्त किए जाने के उपरांत मास्टर प्रशिक्षक मिशन से किसी भी प्रकार का लाभ/मुआवजा/समावेशन/नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे।
- मास्टर प्रशिक्षक एवं संबंधित केवाईपी केन्द्र के बीच मास्टर प्रशिक्षकों की केन्द्र पर दोबारा नियुक्ति होने या ना होने के विषय में किसी भी प्रकार की असहमति या विवाद से बिहार कौशल विकास मिशन का कोई संबंध नहीं होगा।
- मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मिशन के नोलेज पार्टनर एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता के आधार पर एक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया जाएगा।
- प्रशिक्षण संबंधी तिथि एवं समय की सूचना नोलेज पार्टनर एजेंसी द्वारा सभी लर्निंग फैसिलीटेटरों तथा उनसे जुड़े केवाईपी केन्द्रों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ ही, लर्निंग फैसिलीटेटरों को केवाईपी केन्द्रों द्वारा उनके लेटरहेड पर प्राधिकृत किए जाने संबंधी पत्र के साथ प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने की अनुमति होगी।
- प्रशिक्षणोपरांत होने वाले मूल्यांकन संबंधी प्रश्न बैंक को नोलेज पार्टनर द्वारा तैयार किया जाएगा एवं समय समय पर आवश्यकतानुसार इसको अपडेट भी किया जाता रहेगा।
- आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी खर्च का वहन संयुक्त रूप से बिहार कौशल विकास मिशन एवं केवाईपी केन्द्रों (कौशल प्रशिक्षण केन्द्र / प्रखंड कौशल प्रशिक्षण केन्द्र) के द्वारा किया जाएगा (जिसमें प्रति लर्निंग फैसिलीटेटर 50 प्रतिशत हिस्सेदारी मिशन की एवं 50 प्रतिशत हिस्सेदारी संबंधित केवाईपी केन्द्र की होगी)। इस प्रकार की व्यवस्था पूर्व में भी

अपनायी गई थी। अन्यथा, आवासीय प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च का पूरा वहन केवाईपी केन्द्रों द्वारा स्वयं ही किया जाएगा। इस संबंध में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

- इस आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के कुल खर्च का निर्धारण मिशन द्वारा किया जाएगा।
- मिशन द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत सर्कुलर/अधिसूचना संबंधित साझेदारों यथा-कौशल प्रशिक्षण केन्द्र/प्रखंड कौशल प्रशिक्षण केन्द्र/लर्निंग फैसिलीटेटर के साथ अग्रिम रूप से साझा किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण संबंधी खर्च, प्रक्रियाएँ तथा सामान्य शर्त्तों से जुड़ी विवरणी वर्णित होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजनः

- **3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन दशरथ माँझी श्रम एवं रोजगार अध्ययन संस्थान, पटना (संभावित स्थल) में किया जाएगा।**
- मिशन द्वारा चयनित मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रत्येक सप्ताह संभवतः 80 लर्निंग फैसिलीटेटरों के दो बैचों का प्रशिक्षण क्रमशः सोमवार से बुधवार एवं गुरुवार से शनिवार को निर्धारित किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षणोपरांत मूल्यांकन सत्र का आयोजन प्रशिक्षण के तीसरे दिन (अंतिम दिन) किया जा सके।
- नोलेज पार्टनर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पठन सामग्री के अनुसार ही प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।
- प्रशिक्षण पद्धतियों यथा-पेडागोजी, प्रस्तुतीकरण, अवधारणाओं/विचारों की अभिव्यक्ति, समूह चर्चा, वक्तृत्व कौशल, कुशल युवा कार्यक्रम एवं अन्य संबंधित विषयों को इस प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा।
- किसी भी लर्निंग फैसिलीटेटर की प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थिति अस्वीकार्य होगी। प्रशिक्षण हेतु समय-सारिणी का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण केन्द्रों में चल रहे दैनिक प्रशिक्षण कार्य पर यथासंभव कम से कम प्रभाव पड़े। आवासीय प्रशिक्षण में भागीदारी हेतु पुष्टि करने के उपरांत अनुपस्थित रहने वाले लर्निंग फैसिलीटेटर के विरूद्ध होने वाले व्यय का पूरा वहन संबंधित केन्द्र को करना पड़ेगा जिसकी प्रक्रिया मिशन द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- प्रशिक्षण के लिए कुल बैच का आकार एवं समानान्तर बैचों की कुल संख्या का निर्धारण बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाएगा एवं उसकी सूचना तय सीमा के अन्दर प्रदान की जाएगी।

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले लर्निंग फैसिलीटेटर दशरथ माँझी श्रम एवं रोजगार अध्ययन संस्थान, पटना अथवा मिशन द्वारा निर्धारित स्थल में निवास करेंगे।
- कोई भी लर्निंग फैसिलीटेटर जो प्रथम बार प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहते हैं अथवा प्रथम बार प्रशिक्षणोपरांत लिए गए मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने में विफल रहते हैं, उन्हें तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में एक और बार अंतिम रूप से भाग लेने हेतु अवसर दिया जाएगा। दूसरी बार भी प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा दूसरी बार प्रशिक्षणोपरांत लिए गए मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण लर्निंग फैसिलीटेटरों को भविष्य में केवाईपी में प्रशिक्षण देने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे लर्निंग फैसिलीटेटरों के पंजीकरण को पोर्टल से हटाने हेतु संबंधित केवाईपी केन्द्र आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- आवासीय प्रशिक्षण के दौरान प्रवास कर रहे लर्निंग फैसिलीटेटरों एवं मास्टर प्रशिक्षकों से उच्चतम स्तर का अनुशासन और आचरण बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। लर्निंग फैसिलीटेटर/मास्टर प्रशिक्षक अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा एवं अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

मूल्यांकन एवं प्रमाणिकरणः

- प्रत्येक बैच के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत तीसरे दिन ही प्रशिक्षित बैच का मूल्यांकन किया जाएगा।
- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा अपेक्षित बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता के आधार पर पटना में किसी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या कौशल प्रशिक्षण संस्थान या प्रखंड कौशल प्रशिक्षण संस्थान में अथवा हैण्ड हेल्ड डिवाईस के साथ प्रशिक्षण केन्द्र पर ही ऑनलाईन मूल्यांकन किया जाएगा।
- ऑनलाईन मूल्यांकन का आयोजन मिशन के नोलेज पार्टनर द्वारा उचित निगरानी में किया जाएगा।
- मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए कट-ऑफ 70 प्रतिशत होगा।
- कोई भी लर्निंग फैसिलीटेटर यदि प्रशिक्षणोपरांत मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने में विफल रहता है, उसे तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन सत्र में भाग लेने का एक और अवसर मिशन की ओर से दिया जाएगा। दूसरी बार भी आवासीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन सत्र में अनुपस्थित रहने वाले लर्निंग फैसिलीटेटरों को आगे कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। जो लर्निंग फैसिलीटेटर उपलब्ध दो प्रयासों में भी मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं, ऐसे लर्निंग फैसिलीटेटरों का

पंजीकरण मिशन के पोर्टल से समाप्त करने का कार्य उनके संबंधित केन्द्रों द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

नोटः बिहार कौशल विकास मिशन को लर्निंग फैसिलीटेटरों के लिए तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता वृद्धि संबंधी पहल के किसी भी नियम एवं शर्त्तों को किसी भी चरण में (यहाँ तक कि क्रियान्वयन चरण या उसके बाद भी) बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए संशोधित करने का अधिकार होगा। इसके लिए किसी के पास बिहार कौशल विकास मिशन के विरुद्ध कार्रवाई या दावा का कोई कारण नहीं होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा।